

सरकार हर बेटी, हर महिला के साथ

सम्मान, सुरक्षा और बेहतर भविष्य की पक्की बात

हर बेटी, हर महिला के साथ... यह सरकार की वह प्रतिबद्धता है, जो संवेदनशीलता को नीति और संकल्प को परिणाम में बदलती है। महिलाओं और बालिकाओं के जीवन को सुरक्षित, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को एक मजबूत ढांचे में पिरोया है। ये पहल केवल सहायता तक सीमित नहीं हैं, बल्कि महिलाओं को आगे बढ़ने, निर्णय लेने और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने का आधार प्रदान कर रही हैं। स्वच्छ रसोई की सुविधा से लेकर उच्च शिक्षा तक पहुंच, आर्थिक संबल से लेकर सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक स्थलों पर निर्भीकता, सरकार का प्रयास है कि हर बेटी और हर महिला को बराबरी का अवसर और सम्मान मिले। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार ने नारीशक्ति को विकास की धुरी बनाते हुए एक समावेशी, सशक्त और संवेदनशील समाज की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए हैं।



आगे बढ़ रही बेटी

राजस्थान में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजनान्तर्गत 33,904 बेटी जन्मोत्सव समारोह आयोजित किए गए हैं। इसमें 1.95 लाख बालिकाओं के जन्मोत्सव मनाए गए तथा ग्राम पंचायतों पर 2.72 लाख वृक्षों का रोपण किया गया। इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों की बेटीयों को वित्तीय सहयोग देना है जो सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक पढ़ाई कर रही हैं। आपकी बेटी छात्रवृत्ति योजना राजस्थान में हर पात्र छात्रा को 2,100 से 2,500 रुपये तक की वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है।

सरकार की पहल से आसान हुई खेती



ब्याज-मुक्त फसली ऋण सुविधा के माध्यम से सरकार किसानों को किरायाती और समय पर ऋण उपलब्ध कराने की बड़ी पहल कर रही है। इस योजना के तहत अब तक 77.74 लाख से अधिक किसानों को 44,355 करोड़ रुपये से अधिक का फसली ऋण वितरित किया जा चुका है। ब्याज पर भुगतान करने वाले किसानों को ब्याज सब्सिडी का लाभ मिलता है, जिससे उनकी खेती की लागत घटाने का आसान होता है और बीज, खाद व कीटनाशक जैसी आवश्यक सामग्री समय पर उपलब्ध हो पाती है। नवीन कृषकों को 446.24 करोड़ रुपये के फसली ऋण वितरित किए गए हैं।

634.22 करोड़ रुपये के ऋण



डेयरी से संबंधित गतिविधियों के लिए एक लाख रुपये तक ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना लागू की गई है। इसमें 84,604 पात्र गोपालक परिवारों को 634.22 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है। सभी दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी माफ की गई है।

गांव-गांव पहुंचा उपचार

मोबाइल वेटेरिनरी यूनिट पशुपालन विभाग की ऐसी पहल है, जिसके जरिए दूरदराज गांवों में पशुओं को चिकित्सा उपलब्ध करवाई जा रही है। इसमें 536 मोबाइल वाहनों से करीब 58.64 लाख पशुओं का उपचार कर 14 लाख 48 हजार से अधिक पशुपालकों को लाभान्वित किया गया है।



- रसोई गैस सब्सिडी योजना में गरीब परिवार की महिलाओं को घरेलू गैस सिलेंडर 450 रुपये में उपलब्ध
- कृषि अध्ययन के लिए 58,397 छात्राओं को 103 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि
- लाडो प्रोत्साहन योजना में 1.50 लाख रुपये सेवा बॉण्ड से 4.60 लाख बालिकाओं को मिला लाभ
- 12 लाख महिलाएं बर्नी लखपति दीदी, नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना में 216 करोड़ रुपये के ऋण
- प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में 9.92 लाख गर्भवती महिलाओं को 531 करोड़ रुपये की सहायता
- महिला अपराधों में 12 प्रतिशत की कमी, 65 एन्टी रोमियो स्कवॉड का गठन



हर नारी का मान

मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन सम्मान योजना द्वारा विधवा, परित्यक्ता, अकेली महिलाओं व जरूरतमंद महिलाओं को मासिक पेंशन, आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना में करीब 6,234 करोड़ रुपये व्यय कर 19.24 लाख पेंशनर्स को लाभ दिया गया है।

दीदी बनी लखपति

प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए राजीविका मिशन के तहत 'लखपति दीदी' योजना का विस्तार किया गया है। इसके तहत करीब 19.45 महिलाओं को लखपति दीदी का प्रशिक्षण प्रदान कर 12.06 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया जा चुका है।

बिटिया की शिक्षा की राह हुई सुगम

सरकार ने कालीबाई भील निशुल्क स्कूटी योजना और देवनारायण स्कूटी योजना के तहत नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब स्कूटी की राशि सीधे संबंधित एजेंसी के खाते में ट्रांसफर की जा रही है। योजना में 39,664 स्कूटियों का वितरण किया गया है।

महिला सुरक्षा- एक और बढ़ा कदम



राजस्थान सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 'कालिका पुलिसकर्मियों' की 500 'कालिका पेट्रोलिंग यूनिट' का गठन किया है। ये टीमें राज्य के भीड़-भाड़ वाले स्थानों, जैसे कॉलेज, मॉल और धार्मिक जगहों पर गश्त करती हैं। यूनिट की वर्दी को खास डिजाइन किया गया है। इनके स्कूटर और हेलमेट काले रंग के हैं और वर्दी पर पीछे की ओर नियाँ मोनोग्राम होता है।

स्वच्छ ईंधन से सेहत

गरीब परिवार की महिलाओं को हानिकारक धुएं से बचाकर स्वस्थ प्रदान करने के लिए एक जनवरी, 2024 से रसोई गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के चिह्नित लाभार्थियों तथा बीपीएल परिवारों (राजस्थान राज्य के) को रसोई गैस सिलेण्डर केवल 450 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लाभार्थियों को 4.82 करोड़ गैस सिलेण्डर सिफिलिंग कर 867 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है।

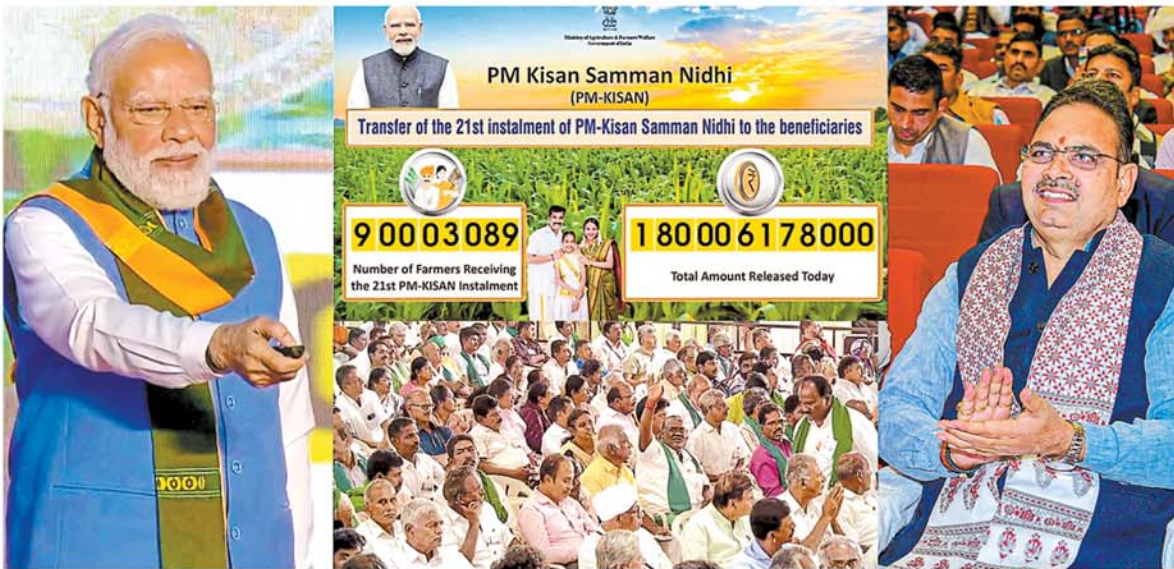
खिलखिला रही लाडो

लाडो प्रोत्साहन राशि पहले एक लाख थी जिसे भजनलाल सरकार ने बढ़ाकर अब 1.50 लाख रुपये कर दिया गया है। अब तक 4.60 लाख बालिकाएं प्रथम क्रिस्ट से लाभान्वित हो चुकी हैं। योजना में परिवार को राजस्थान में बेटी के जन्म पर सेविंग बॉन्ड कुल सहायता राशि 1.5 लाख कुल 7 किस्तों में (जन्म, टीकाकरण, स्कूल-प्रवेश, कक्षा-उत्थान, स्नातक आदि के समय) दी जाती है। यह योजना स्वचलित है और इसके लिए अलग से फार्म भरने की जरूरत नहीं है।

किसान और पशुपालक के हित में ठोस प्रयास

खेत से घर तक विकास की नीति बनी ग्रामीण उत्थान का मजबूत आधार

ग्रामीण अंचलों की वास्तविक जरूरतों को समझते हुए और किसानों-पशुपालकों के हर संघर्ष को अपना दायित्व मानते हुए राज्य सरकार ने विकास की ऐसी समग्र रूपरेखा तैयार की है, जिसमें सेवा, सुरक्षा और सशक्तीकरण तीनों का संतुलित समावेश दिखाई देता है। खेती और पशुपालन को केवल आजीविका नहीं, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानकर सरकार ने नीतियों को जमीन से जोड़ते हुए उन्हें परिणामोन्मुख बनाया है। दूरदराज गांवों और रेगिस्तानी क्षेत्रों तक पशु चिकित्सा सेवाओं की पहुंच हो, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य और समय पर भुगतान मिले, फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा मिले, सिंचाई और बिजली की समस्याओं का समाधान हो या फिर डिजिटल तकनीक के माध्यम से पारदर्शिता और सरलता सुनिश्चित करनी हो, हर मोर्चे पर सरकार की मंशा स्पष्ट और प्रयास प्रभावी नजर आते हैं। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार ने न केवल आर्थिक सहायता प्रदान की है, बल्कि किसानों और पशुपालकों में विश्वास, आत्मबल और भविष्य के प्रति आश्वस्ति भी पैदा की है। ये पहल इस बात का प्रमाण हैं कि सरकार का विकास मॉडल कागजों तक सीमित नहीं, बल्कि गांव की चौपालों तक उपस्थिति दर्ज करा रहा है।



76.18 लाख किसानों को मिला 'सम्मान'

राज्य में वर्ष 2024-25 के बजट में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रारम्भ करने की घोषणा के बाद लाभार्थियों को हर साल 2,000 रुपये तीन किस्तों में देने की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस 2,000 की आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 2025-26 में 3,000 रुपये कर दिया। योजना में किसानों को हर साल तीन किस्तों में 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अब तक योजना में 71.79 लाख किसानों को 2,073 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत प्रदेश के 76.18 लाख किसानों को अब तक 8 हजार 359 करोड़ रुपये की राशि उनके खातों में स्थानान्तरित की जा चुकी है।

खेती, पशुपालन और तकनीक का अपूर्व संगम

जनकल्याण से कृषक आत्मनिर्भरता तक समावेशी विकास



हर मुश्किल में सरकार साथ

मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना में किसानों को खेती करते समय दुर्घटनाग्रस्त होने पर वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। योजना के तहत आकस्मिक मृत्यु या स्थायी अंग-भंग होने की स्थिति में आर्थिक मदद सरकार की ओर से दी जाती है। योजना में 5,415 लाभार्थियों को 85.41 करोड़ रुपये की सहायता की गई है। इसके अलावा पीएम-कुसुम योजना के तहत राज्य में देश की सबसे अधिक क्षमता वाली विकेन्द्रित सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की गई हैं।



बढ़कर मिल रहा बोनस

प्रदेश में वर्ष 2024-25 में गेहूं के समर्थन मूल्य 2,275 रुपये प्रति क्विंटल के ऊपर 125 रुपये एवं वर्ष 2025-26 में राजस्थान कृषक समर्थन योजना के अंतर्गत गेहूं के समर्थन मूल्य 2425 रुपये प्रति क्विंटल के ऊपर 150 रुपये का बोनस प्रदान कर 2575 रुपये प्रति क्विंटल पर गेहूं खरीदकर किसानों को लाभान्वित किया गया। इस योजना में 2.66 लाख किसानों से 33.42 लाख मेट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है और उन्हें 471.16 करोड़ रुपये बोनस दिया गया है।



तारबंदी योजना से मिली सुरक्षा

तारबंदी योजना के अंतर्गत आवारा पशुओं से फसल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसानों के खेतों में फेंसिंग (तारबंदी) पर अनुदान दिया जाता है। किसानों को 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा 40 हजार रुपये निर्धारित है। लघु एवं सीमांत किसानों को 60 प्रतिशत तक, अधिकतम 48 हजार रुपये अनुदान दिया जाता है। करीब 31,357 किलोमीटर की तारबंदी स्थापित कर 330 करोड़ रुपये से अधिक अनुदान दिया गया है।



किसान की नई डिजिटल पहचान

किसान डिजिटल आइडी के माध्यम से किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से प्रदान किया जा रहा है। अब तक लगभग 75 लाख किसानों को यह डिजिटल पहचान उपलब्ध कराई जा चुकी है। इससे लाभार्थी सत्यापन सरल हो गया है, योजनाओं का लाभ एक क्लिक पर मिल जाता है। एग्रीस्टेक योजनान्तर्गत डिजिटल कृषि पहल के अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री एवं डिजिटल क्राफ्ट सर्वे गिरदावरी योजनाएं शुरू की गईं।

6206.61 करोड़ के क्लेम वितरित



प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में लागू की गई है। योजना में किसानों की फसल को बुआई से लेकर कटाई होने के बाद तक आने वाली मौसम की मार या प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा दी जाती है। इससे किसान बिना डर के खेती कर सकते हैं और नुकसान होने पर उन्हें मुआवजा भी मिलता है। बीते दो साल में योजना के तहत अब तक 6206.61 करोड़ रुपये के बीमा क्लेम वितरित किए गए हैं एवं देश में सर्वाधिक 2.19 करोड़ बीमा पॉलिसियों का सृजन किया गया है।